

कार्यालय कलेक्टर , जिला उमरिया (म0प्र0)

संशोधित-आदेश

2467 उमरिया, दिनांक 18/05/2015

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1094/दिनांक 03.03.2015 द्वारा उमरिया जिले में निर्माणाधीन भण्डारी जलाशय में 14.935 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण भूमि ग्राम अर्जुनी तहसील पाली जिला उमरिया की आराजी नं० 56, 57, 58 एवं 59 रकवा 14.935 हे० उपलब्ध राजस्व भूमि आवंटित किया गया था।

अतः उक्त आदेश संशोधित कर जल संसाधन संभाग उमरिया अंतर्गत निर्माणाधीन योजना में प्रभावित हो रही 14.935 हे० वन भूमि के बदले ग्राम अर्जुनी, तहसील पाली, जिला उमरिया की आराजी नं० 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 एवं 63 का क्रमशः रकवा 0.998 हे०, 4.776 हे०, 0.910 हे०, 6.205 हे०, 0.100 हे०, 0.785 हे०, 1.000 हे० एवं 0.161 हे० कुल कित्ता 8 रकवा 14.935 हे० गैर वन (राजस्व) भूमि को म०प्र० राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक -2 की कण्डिका-5 के निर्देशानुसार म०प्र० शासन वन विभाग को हस्तांतरित किया जाता है।

1/2

(कृष्ण गोपाल तिवारी)

कलेक्टर

जिला-उमरिया (म०प्र०)

उमरिया, दिनांक 18/05/2015

पृ०क०/2467/का-288/राजस्व/2015/
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल।
2. वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)।
3. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग उमरिया (म०प्र०)।
4. कार्यपाल यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया (म०प्र०)।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली जिला उमरिया (म०प्र०)।
6. तहसीलदार तहसील पाली जिला उमरिया (म०प्र०)।

1/2

कलेक्टर

जिला-उमरिया (म०प्र०)